



फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

उर्मिला प्रजापत पुत्री श्री जसरूपचंद प्रजापत  
जाति प्रजापत

निवासी रामसीन तह. जसवंतपुरा


जिला जालोर।

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

मुकदमा नं. 12 वर्ष 2021

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
09.11.2021	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 05.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांत द्वारा कार्यालय जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 28.06.2021 को जरिए रजिस्टर्ड डाक से एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर सिरौही द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 05.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांत द्वारा कार्यालय जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 28.06.2021 को जरिए रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर जिला कलक्टर सिरौही द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही द्वारा उपरोक्त सूचना के संबंध में जरिए पत्र क्रमांक 557 दिनांक 29.09.2021 द्वारा अपीलांत को सूचित कर दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

  
(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, सिरौही

